सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व वाद सं. 09/2016

वादीगण

1- मोहम्मद रशीद पुत्र भूरे खॉ
2- फते मोहम्मद खॉ पुत्र भूरे खॉ जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर
2- श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

उपस्थित – श्री हकीम खान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
तहसीलदार डीडवाना प्रतिवादी

निर्णय

दिनॉक :– 30/08/2019

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम अमरपुरा तहसील डीडवाना के खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा जो वादीगण के कब्जा काश्त में है, पूर्व में वादी के पिता भूरे खॉ पुत्र बेली खॉ के कब्जा काश्त में थी, 14 जुलाई 1982 को वादीगण के पिता भूरे खॉ के इंतकाल होने के पश्चात वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है, सरहद अमरपुरा के खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा को राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी उचित कारण के वादीगण की भूमि को कस्टोडियम विभाग की दर्शा दी तथा खेत खसरा नम्बर 290 की भूमि वादी के पूर्वजो की भूमि पर जिस पर वादीगण के पूर्वज का लम्बे समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादी के खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा सरहद अमरपुरा के आस पड़ौस के खेत खसरा नम्बर 253 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 300 रकबा 43 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी राजस्व विभाग ने कस्टोडियम दर्ज की जिसके साथ ही भूलवश वादीगण के खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा की महकमा कस्टोडियम दर्ज कर दी जो कि गलत है तथा वादीगण के खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा के कस्टोडियम विभाग में दर्ज होने से वादीगण के जायज अधिकारो पर कुठाराघात हुआ है, जिसकी पुष्टि विभाग के पर्चा खतौनी सम्वत 2017–18 से होती है क्योकि इसी दिनॉक को खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पिता भूरे खॉ वल्द बेली खॉ के नाम दर्ज थी,उपरोक्त भूमि

...2...

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व अधिकारियो ने भूलवश हुसेना वल्द घासी खाँ जाति पठान साकिन डीडवाना का नाम पर्चा खतौनी 2017–18 में दर्ज कर दिया गया था जो कि गलत दर्ज किया गया है जबकि खेत खसरा नम्बर 290 सरहद अमरपुरा में केवल मात्र वादीगण के पिता भूरे खाँ पुत्र बेली खाँ का कब्जा काश्त ही चला आ रहा है। वादीगण के पिता भूरे खाँ पुत्र बेली खाँ का खेत खसरा नम्बर 290 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा में सम्वत 2011–32 तक निरन्तर गिरदावरी की खातेदारी में नाम दर्ज है तथा कब्जा काश्त भी वादीगण के पिता का था तथा 1982 में वादीगण के पिता का इंतकाल होने के बाद से वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम अमरपुरा तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि को कस्टोडियम विभाग से पुनः वादी के नाम अमल दरामद किया जाने का सादर आदेश फरमावे, खसरा नम्बर 290 की खातेदारी में कस्टोडियम विभाग के स्थान पर स्वय वादीगण का नाम अमल दरामद करावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त अनुपस्थित रहने से एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार डीडवाना द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 290 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है एवं पड़त भूमि है जिसकी जमाबन्दी नकल एवं गिरदावरी नकल प्रस्तुत की है,खसरा नम्बर 253, 298, 299, 300, 342 के साथ खसरा नम्बर 290 वर्तमान में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है, सम्वत 2069–2072 व 2073–74 की गिरदावरी नकल में खसरा नम्बर 290 पड़त लिखी हुई है, इस्तदुआ में कथन किया है कि राजकीय हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय फरमावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा ग्राम अमरपुरा के खाता संख्या 178 सम्वत 2065–68, 2069–72 की जमाबंदी नकल,भू–प्रबन्ध (सेटलमेंट) विभाग पर्चा खतौनी सम्वत 2017–18 की नकल, खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत 2022–44 की नकल, नक्शा ट्रेस की प्रति, नामान्तरकरण संख्या 301 की नकल, नामान्तरकरण संख्या 79 की नकल, गिरदावरी की नकल 2011–14, 2015–17, 2018–2020,2029–2032,2023–2024, जमाबन्दी नकल सम्वत 2010–13, 2021–2024, 2025–2028, 2041–2044, 2061–2064, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, प्रस्तुत की, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076, गिरदावरी नकल सम्वत 2069–72, 2073–74 की प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध

...3...

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2065–68 ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 253 290 298 299 300 342 कुल रकबा 59 बीघा 19 बिस्वा में भारत सरकार महकमा कस्टोडियम नामा. सं. 301 नि.दि. 25.06.2011 न्यायालय आदेश के अनुसार भारत सरकार महकमा कस्टोडियम के स्थान पर राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी स्वीकृत हुई। नकल सम्वत 2069–72 अमरपुरा के खसरा नम्बर 253, 290, 298, 299, 300, 342, 448/83 कुल रकबा 60 बीघा 05 बिस्वा राजस्थान सरकार चालू पड़त या 1 वर्ष पत्र (जुताई हेतु) दर्ज है, भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग पर्चा खतौनी सम्वत 2017–18 में हुसेना वल्द घासी खॉ कौम पठान मुसलमान सा. डीडवाना खातेदार सा. पाकिस्तान– बकाश्त भुरे खॉ वल्द बेली खॉ कौम पठान मुसलमान सा.डीडवाना सम्वत 2011 से अंकित है तथा काश्त दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2022–44 में कॉलम संख्या 3 में केन्द्रीय सरकार कालम संख्या 4 व 5 मे बकब्जा महकमा कस्टोडियम खसरा नम्बर 218 253 290 300 342 288 289 अंकित है, नामान्तरकरण संख्या 301 नकल अनुसार उक्त भूमि भारत सरकार महकमा कस्टोडियम से राजस्थान सरकार के नाम भूमि दर्ज हुई, खसरा गिरदावरी सम्वत 2011–2014 हुसैन पुत्र घासी कौम भाट सा. देह खातेदार मयादी 10 साल मोठ बाजरी, सम्वत 2012 में भूरे खॉ की काश्त तथा आगामी वर्षो में भी भूरे खा की मोठ बाजरी गवार की काश्त दर्ज चली आई है सम्वत 2014–17 मे हुसैन पुत्र घासी सा. देह मयादी खातेदारी (पाकिस्तान)काश्त भूरे खॉ पुत्र बेली खॉ एवं काश्त भूरे खॉ की दर्ज चली आ रही है, सम्वत 2018–21 में भी इसी अनुसार प्रविष्टि दर्ज चली आई है, 2029–32 खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा बारानी द्वितीय श्री सरकार महकमा कस्टोडिय बाजरी की काश्त दर्ज है तथा 2030 मे मोठ सम्वत 2031 में बाजरी 2032 में मोठ तथा कालम संख्या 47–48 में भुरे खॉ दर्ज है। जमाबन्दी खेवट खतौनी नकल सम्वत 2010–13 खसरा नम्बर 143 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में कालम संया 5 में हुसना पुत्र घासी कौम भाट सा. देह मयादी गैर खातेदार 10 वर्ष है, सम्वत 2021–2024 में नाम कृषक कालम मे हुसना पुत्र घासी कौम भाट सा. देह मयादी गैर खातेदार दर्ज है, सम्वत 2025–2028 में केन्द्रीय सरकार अन्य विभागो के अनतर्गत महकमा कस्टोडियम बकब्जा महकमा कस्टोडियम खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है, सम्वत 2041–2044 में महकमा कस्टोडियम भारत सरकार खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2061–64 में राजस्थान सरकार भारत सरकार महकमा कस्टोडियम खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2073–76 ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 290 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा में राजस्थान सरकार चालू पड़त या 1 वर्ष प.(जुताई हेतु) अंकित है तथा गिरदावरी नकल में पड़त जमीन दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आ रहा है जिसकी पुष्टि उपलब्ध साक्ष्य एवं गिरदावरी से स्पष्ट साबित होती है। गिरदावरी में अंकित प्रष्टियो में वादीगण के पूर्वज भूरे खाँ का कब्जा होकर काश्त बाजरा गवार इत्यादि दर्ज चली आ रही है, प्रश्नगत भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का कब्जा काश्त नही होना साबित है। अतः वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य होने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर के खसरा नम्बर 290 रकबा 9.18 बीघा बारानी द्वितीय में वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो।

निर्णय आज दिनॉक 30/08/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : डीडवाना जिला नागौर

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद सं. 09/2016

वादीगण

1- मोहम्मद रशीद पुत्र मूरे खॉ

2- फते मोहम्मद खॉ पुत्र मूरे खॉ जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर

2- श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री हकीम खान अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री ....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम अमरपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर के खसरा नम्बर 290 रकबा 9.18 बीघा बारानी द्वितीय में वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 08 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत .... सहायक कलेक्टर

ओहदा......... डीडवाना (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner